THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) No, Sir. The extension of the route to Karol Bagh Terminal will result in an increase in the length of the route and, thereby the commuters travelling beyond 16 Kms. would be required under the existing fare structure to pay a fare of 60 paise for each journey instead of 30 paise as at present. Since Nand Nagri is a re-settlement colony, inhabited by the economically weaker sections of the people, it is not considered desirable to require them pay a fare of 60 paise per journey against the present rate of 30 paise by extending the route.

(b) Route No. 157 is already running via Karol Bagh Terminal which is in close proximity to Arya Samaj Road. It is, therefore, not considered necessary to direct the services on the route via Arya Samaj Road.

(c) Does not arise. Reasons are indicated against (a) & (b) above.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम, मध्य प्रदेश द्वारा कपड़े की बिक्री

8927. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के अन्तर्गत चल रही सात कपड़ा मिलों ने गत तीन वर्षों में किन व्यापारियों को कपड़ा बेचा था तथा प्रत्येक को कितनी मात्रा में कपड़ा बेचा गया ;

(ख) ऐसे कितने और किन व्यापारियों ने कपड़ा खरीदा था जिन्होंने निगम को देय राशि का अब तक पूरा भुगतान नहीं किया हैं, उनके द्वारा देय राशि का पूरा भुगतान न करने के क्या कारण हैं तथा प्रत्येक पर कितनी देय राशि बकाया है ;

(ग) क्या व्यापारियों ने खरीदे गए माल की डिलीवरी नहीं ली थी और निगम ने बेचे गये माल को वापिस ले लिया था; और यदि हां तो क्या सरकार को परिवहन कम्पनियों को विलम्ब शुल्क और अतिरिक्त माल भाड़ा देना पड़ा; और

(घ) क्या निगम न केवल व्यापारियों से उपरोक्त तरीके से बेचा गया माल वापिस ले रहा है अपितु वह ऐसे माल पर 7½ प्रतिशत अथवा इससे अधिक की छूट भी दे रहा है; और यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा मयती): (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश को सीमेंट का कोटा

8928. **श्री कैलाश प्रकाश :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को सीमेंट आवंटन करने की कसौटी क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में, प्रत्येक राज्य को प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में सीमेंट आवंटित की गई ;

(ग) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कितनी मात्रा में सीमेंट की मांग की और उसे तिमाही आधार पर कितनी सीमेंट सप्लाई की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि सीमेंट के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास कार्य रुके पड़े हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती): (क) और (ख). सीमेन्ट का

आबंटन तिमाही के आधार पर सभावित उपलब्धता तथा विभिन्न राज्यों के साथ ही केन्द्रीय सरकार के विभागों से प्राप्त माग के अनुसार किया जाता है । सीमेन्ट का आबटन प्रति व्यक्ति के आधार पर नही किया जाता है ।

(ग) एक विवरण सलग्न है ।

(घ) जी, नही ।

विवरण

उत्तर प्रदेश को वर्ष 1975–76 से 1977–78 के दौरान किये गये सीमेन्ट का आबटन तथा प्रेषण

(हजार मी० टनो मे)

वर्ष तिमाही	राज्य द्वारा मागी गई मात्रा	राज्य क्षेत्र के अधीन आबटित की गई मात्रा	प्रेषण		योग
			राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6
1975–76					
अप्रैल–जून 1975	540 0	540.0	319 6	33.4	353.0
जुलाई-सितम्बर 1975	उ० न०	440 0	344 6	50.4	395.0
अक्तूबर–दिसम्बर 1975	उ० न०	440.0	459 2	44 5	503 7
जनवरी–मार्च 1976	440 0	440 0	493 6	52.2	545.8
योग	—	1860 0	1617 0	185 5	1797 5
1976–77					
अप्रैल–जून 1976	450 0	450.0	446 0	38 8	484.8
जुलाई–सितम्बर 1976	500.0	500.0	487.7	54.9	542.6
अक्तूबर–दिसम्बर 1976	575.0	575.0	537.1	83.5	620 6
जनवरी–मार्च 1977	620.0	620.0	563.4	51.3	614 4
योग	2145.0	2145.0	2034.2	228.5	2262 4
1977–78					
अप्रैल–जून 1977	उ० न०	451.0	483 3	48.0	531.3
जुलाई–सितम्बर 1977	उ० न०	492.0	431 3	49 0	480 3
अक्तूबर–दिसम्बर 1977	692.0	514.3	422.0	61.0	483.0
जनवरी–मार्च 1978	800.0	550.0	568.0	73.0	641 0
योग	—	2007.3	1904.6	231.0	2135.6